

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी – संजय शर्मा

G.C.M.S. No. 2021/380

प्रार्थना पत्र संख्या 84/2021

तारीख रजू 04.10.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर

.....प्रार्थी

बनाम

1. रमेशचन्द पुत्र ईश्वरलाल खटीक निवासी ग्राम मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर।
2. कमलादेवी पत्नि रमेशचन्द खटीक निवासी ग्राम मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर।

.....अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 16.01.2026

यह प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 31.07.2002 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण रमेशचन्द पुत्र ईश्वरलाल खटीक निवासी ग्राम मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर एवं कमलादेवी पत्नि रमेशचन्द खटीक निवासी ग्राम मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर 2183/मिन 1, 2183/5 किस्म बंजड 2, बारानी 3 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम मलारना डूंगर में आदेश दिनांक 31/07/2002 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 2183/मिन 1, 2183/5 किस्म बंजड 2, बारानी 3 रकबा 1 बीघा पर भू.अ. निरीक्षक वृत्त मलारना डूंगर व पटवारी हल्का मलारना डूंगर-बी की मौका रिपोर्ट दिनांक 30.07.2021 के अनुसार आवंटी का कब्जा नहीं होने व आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। अप्रार्थीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रार्थना पत्र पर पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा भूमि ख0न0 2183/मिन 1, 2183/5 किस्म बंजड 2, बारानी 3 रकबा 1 बीघा पर भू.अ. निरीक्षक वृत्त मलारना डूंगर व पटवारी हल्का मलारना डूंगर



यह

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

डूंगर-बी की रिपोर्ट दिनांक 30.07.2021 के अनुसार आवंटियों का मौके पर कब्जा नहीं है। अन्य व्यक्तियों का कब्जा काशत है। जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। अन्त में पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2002 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में पेरोकार राजस्व की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार मलारना डूंगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार आवंटी रमेशचन्द पुत्र ईश्वरलाल खटीक निवासी ग्राम मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर एवं कमलादेवी पत्नि रमेशचन्द खटीक निवासी ग्राम मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर 2183/मिन 1, 2183/5 किस्म बंजड 2, बारानी 3 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम मलारना डूंगर में आदेश दिनांक 31/07/2002 द्वारा आवंटित किया गया था। आवंटितशुदा भूमि का गैर खातेदारी का नामांतरण संख्या 320 दर्ज होकर दिनांक 31.07.2002 को स्वीकार हुआ। भू.अ.निरीक्षक वृत्त मलारना डूंगर व पटवारी हल्का मलारना डूंगर-बी की मौका रिपोर्ट के अनुसार गैर खातेदार रमेशचन्द पुत्र ईश्वरलाल खटीक व कमलादेवी पत्नि रमेशचन्द खटीक का ख0नं0 2183/मिन 1, 2183/5 किस्म बंजड 2, बारानी 3 रकबा 1 बीघा पर मौके पर कब्जा काशत नहीं है तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना पाया जाता है। अतः तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः अप्रार्थीगण द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थी का वर्तमान में आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर 2183/मिन 1, 2183/5 किस्म बंजड 2, बारानी 3 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम मलारना डूंगर पर कब्जा नहीं होने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 31/07/2002 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार मलारना डूंगर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मलारना डूंगर के आराजी खसरा नम्बर 2183/मिन1, 2183/5 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम मलारना डूंगर को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(संजय शर्मा)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर